

अध्याय V

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

5.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण किसी सत्व के प्रबंधन और कार्मिकों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है जो जोखिम का समाधान करती है और सत्व के लक्ष्य के लिए तर्क संगत आश्वासन उपलब्ध करती है कि निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं:

- व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी परिचालनों का निष्पादन;
- जवाबदेही दायित्वों को पूरा करना;
- लागू कानून और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।

5.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग दो क्रियाओं अर्थात विवरणियों की संवीक्षा, और आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा आंतरिक नियंत्रण करता है। रिकॉर्डों की नमूना जांच में हमें ₹ 279.19 करोड़ के राजस्व वाले 58 मामलों में असफल आंतरिक नियंत्रण देखने को मिला, जिन्हें इस अध्याय में शामिल किया गया है।

5.3 आंतरिक लेखापरीक्षा न किया जाना

लेखापरीक्षा ने नौ मामले देखे जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षा देय होने के बावजूद विभाग द्वारा नहीं की गई थी, जिसके कारण निर्धारितियों द्वारा की गई त्रुटियां खोजी नहीं जा सकी। चार मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा न किए जाने की बात स्वीकार की और इन मामलों का विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है। शेष पांच मामलों का सोदाहरण विवरण निम्नानुसार है।

5.3.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

5.3.1.1 माल भाड़ा प्रभार के शामिल न किए जाने के कारण शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण) नियमावली 2000 का नियम 5, नीचे दी गई व्याख्या 2 के साथ पठित, यह कहता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को बेचा जाता है और हटाने का स्थान फैक्ट्री नहीं है, तो उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के लिए फैक्ट्री से हटाये जाने के स्थान तक की परिवहन लागत को छोड़ा नहीं जाएगा।

वड़ोदरा-11 कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले मै. शनाईडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि. ने डिलिवरी हेतु अपने अंतिम उत्पाद की निकासी की (एक्स वर्क्स-उपभोक्ता स्थल)। क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार, निर्धारिती ग्राहक के घर पर ग्राहक की संतुष्टि के लिए अच्छी स्थिति में वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए जवाबदेह था। इसप्रकार, ग्राहकों तक वस्तुओं का वितरण करने तक वस्तुओं पर निर्धारिती का अधिकार था। निर्धारिती ने स्थानीय शुल्कयोग्य बिक्री पर 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान जावक माल भाड़ा के रूप में ₹4.49 करोड़ की राशि वसूल की जिस पर ₹54.79 लाख का उत्पाद शुल्क देय था। इसके परिणामस्वरूप ₹54.79 लाख के उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं हुआ जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

यद्यपि निर्धारिती वर्तमान प्रतिमानों के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा उद्देश्य से एक अनिवार्य इकाई था परन्तु फरवरी 2013 के पश्चात (जनवरी 2010 से दिसंबर 2012 की अवधि शामिल करके) आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी जिसके कारण त्रुटि का पता नहीं चल पाया।

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2014), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2017) और कहा कि दिसंबर 2011 से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए निर्धारिती को ब्याज और शास्ति सहित ₹1.16 करोड़ का एससीएन जारी किया गया था और मांग की पुष्टि की गई। आंतरिक

लेखापरीक्षा असफलता के लिए, मंत्रालय ने बताया कि नमूना जांच आधार पर लेखापरीक्षा किए जाने के कारण मामलों का पता नहीं लगाया जा सका था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 का अनुबंध ग अन्य बातों सहित यह शर्त लगाता है कि, 'लाभ और हानि लेखा' की जांच करते समय माल भाड़े के रूप में वसूल की गई राशि की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। कर योग्य मूल्य में एकत्रित मालभाड़े को शामिल किए जाने संबंधी मामलों की जांच आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जानी चाहिए थी।

5.3.2 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना/वापस न करना

5.3.2.1 स्वच्छ उर्जा उपकर पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(1) के अनुसार, अंतिम उत्पाद का विनिर्मात या उत्पादक या आउटपुट सेवा के प्रदाता को इनपुट्स, पूंजीगत वस्तुओं या इनपुट सेवाओं पर चुकाये गये विनिर्दिष्ट शुल्कों का सेनवैट क्रेडिट लेने की अनुमति होगी। सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए उपरोक्त प्रावधान के अनुसार स्वच्छ उर्जा उपकर विनिर्दिष्ट शुल्क नहीं है।

उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 76 के अंतर्गत आने वाले एल्यूमिनियम इनगॉट, वायर रॉड, बिलेट्स आदि के विनिर्माण में संलग्न भुवनेश्वर-II कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत मै. नालको स्मेल्टर प्लांट अंगुल ने नियमावली के उल्लंघन में मार्च 2016 में कोयले पर स्वच्छ उर्जा उपकर (सीईसी) के भुगतान के प्रति ₹8.08 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया। इसके परिणामतः ₹8.08 करोड़ के अनियमित सेनवैट लिया गया, जो निर्धारिती से वसूल किया जाना अपेक्षित था।

यद्यपि वर्तमान मानदण्डों के अनुसार निर्धारिती आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य इकाई था, तथापि 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2016), तब मंत्रालय ने इन आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) और बताया कि निर्धारिती ने विरोध के अन्तर्गत मार्च 2016 से नवंबर 2016 तक की अवधि की आपत्तिगत राशि

सहित ₹ 230.50 करोड़ वापस किया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं किये जाने पर मंत्रालय ने बताया कि तय समय के भीतर निर्धारिती से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति न होने के कारण लेखापरीक्षा में देरी हुई थी और 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए फरवरी 2017 में लेखापरीक्षा की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा निर्धारिती के परिसर में की जाती है जहां सभी अभिलेख उपलब्ध होते हैं। क्योंकि इसमें पर्याप्त राजस्व शामिल है इसलिए मंत्रालय को समय पर लेखापरीक्षा न करने के कारणों की जांच तथा उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

5.3.2.2 प्रयुक्त पूंजीगत सामान की निकासी पर सेनवैट क्रेडिट वापस न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(5ए)(ए) के अनुसार, यदि पूंजीगत वस्तुओं, जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है, को प्रयुक्त किए जाने के उपरान्त हटाया जाता है, तो विनिर्माणकर्ता को कथित पूंजीगत वस्तुओं पर लिये गये सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि जो कि सीधी रेखा पद्धति द्वारा परिकल्पित प्रतिशत बिन्दुओं के द्वारा घटाया गया हो, जैसा कि उप नियम (i) एवं (ii) में निर्दिष्ट है अथवा लेन-देन मूल्य पर देय शुल्क के बराबर, जो भी अधिक हो का भुगतान करना होगा। राशि के भुगतान न करने के मामले में, नियम 14 के साथ पठित नियम 3(5सी) के नीचे व्याख्या 2 के अनुसार राशि ब्याज सहित वसूलने योग्य है।

कोलकता-। कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. डायमण्ड बेवरेज प्रा.लि., ने जनवरी 2014 में ₹ 1.38 करोड़ के लिए प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं की निकासी की। निर्धारिती ने उक्त पूंजीगत वस्तुएं जनवरी 2003 में खरीदी थी और उन पर सेनवैट क्रेडिट भी प्राप्त किया था। तथापि, कथित पूंजीगत वस्तुओं को हटाने समय निर्धारिती ने उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत आवश्यक राशि का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 2013-14 के दौरान ₹ 15.18 लाख की राशि का भुगतान नहीं हुआ, जो कि लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर निर्धारिती ने ₹5.69 लाख के ब्याज सहित कुल ₹20.87 लाख की राशि का भुगतान किया।

मौजूदा मानदंडों के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षित किए जाने हेतु निर्धारिती एक अनिर्वाय इकाई थी लेकिन विभाग ने निर्धारिती की अन्तिम आन्तरिक लेखापरीक्षा नवंबर 2013 में की थी जिसमें केवल 2011-12 तक की अवधि सम्मिलित थी। उसके बाद निर्धारिती की कोई लेखापरीक्षा विभाग ने नहीं की। अतः हमारे बताए जाने तक चूक का पता नहीं चला।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2017) तथा वसूली की पुष्टि की। आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने पर मंत्रालय ने बताया कि 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए जून 2016 में हमारे लेखापरीक्षा उपरान्त आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी।

अनिर्वाय इकाई की वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने पर मंत्रालय का उत्तर मौन है।

5.3.2.3 सेनवैट क्रेडिट वापस न करना

अधिसूचना सं. 03/2011 दिनांक 01 मार्च 2011 द्वारा संशोधित सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 का उपनियम, अन्य के साथ-साथ प्रावधान करता है कि यदि उपयोग किए जाने से पहले किसी भी इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है का मूल्य पूर्ण या आंशिक रूप से बढ़े खाते में डाला गया है या जहां लेखाबहियों में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बढ़े खाते में डालने का प्रावधान किया गया है, तो विनिर्माणकर्ता उक्त इनपुट अथवा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिये गये सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

शिलांग कमिश्नरी में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 27 के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पादों की सामग्रियों के विनिर्माण और निकासी में लगे हैं. नुमालीगढ रिफाईनरी लि. ने अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 31 मार्च 2016 को ₹66.24 करोड़ का प्रावधान भविष्य की तारीख पर उक्त राशि को बढ़े खाते में डालने के उद्देश्य से किया था।

ऊपर उल्लिखित नियम के अनुसार, निर्धारिती भंडार और पुर्जों की उन अप्रचलित मदों पर पहले लिये गये सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि के भुगतान के लिए दायी था लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 29.89 लाख का सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं हुआ।

हालांकि मौजूदा मानदंडों के अनुसार विभाग द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षित किए जाने के लिए निर्धारिती एक अनिर्वाय ईकाई थी परन्तु मार्च 2014 से यह लेखापरीक्षित नहीं हुई थी। इसलिए कमियां पता नहीं चल सकी।

हमने अगस्त 2016 में इसे बताया, विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2017)

5.3.2.4 सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(5बी) यह कहता है कि यदि उपयोग किये जाने से पूर्व किसी (i) इनपुट अथवा (ii) पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है का मूल्य पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बढ़े खाते में डाला जाता है या जहां लेखाबहियों में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बढ़े खाते में डालने के लिए प्रावधान किया जाता है तो विनिर्माणकर्त्ता या सेवाप्रदाता जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिये गये सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। इसके अलावा सेनवैट क्रेडिट केवल उन इनपुट के संबंध में लिया जा सकता है जो तैयार वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त हैं।

अहमदाबाद-॥ कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. इंगरसोल रैण्ड (इन्डिया) लि. ने अपनी इनपुट सामग्रियों को स्थानीय के साथ-साथ आयात द्वारा खरीदा था। मार्च 2011 से मार्च 2014 की अवधि के मध्य निर्धारिती ने कुल इनपुट खरीदारी में से 35 प्रतिशत (औसतन) का आयात किया था। निर्धारिती ने इस अवधि के दौरान अप्रचलित और कम उपयोगी मदों (ओएसएमआर) पर ₹ 1.09 करोड़ वापस किया था। तथापि, केवल स्थानीय खरीदारी के लिए लागू दर पर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केवल) वापसी की गई थी। निर्धारिती 17.74 प्रतिशत की दर पर आयतित इनपुटों के समानुपाती सेनवैट क्रेडिट वापस करने

के लिए अपेक्षित था (अर्थात् सीवीडी+एसएडी आयात पर लागू है जिसके लिए निर्धारिती क्रेडिट लेने योग्य है)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.67 लाख तक की राशि की कम वापसी हुई।

निर्धारिती की आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा नवंबर 2011 के बाद से नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कमियां नहीं पकड़ी गईं।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2015) तब विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 16.67 लाख के सेनवैट क्रेडिट की वापसी और ₹ 8.01 लाख के ब्याज का भुगतान किया था।

मंत्रालय ने आपत्ति (सितंबर 2017) से यह कहते हुए असहमति जताई कि मुद्दा पहले से ही विभाग की जानकारी में था। आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने के लिए, यह बताया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा 2014 और 2015-16 में की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा ने केवल यह बताया था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी ओएसएमआई के प्रावधान पर किया जाना अपेक्षित था और मूल उत्पाद शुल्क अर्थात् 12.36 प्रतिशत की दर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी राशि को स्वीकार किया गया था। तथापि, हमने बताया था कि ओएसएमआई में आयातित इनपुटों का भाग (35 प्रतिशत) भी समाहित है जिस पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के सेनवैट क्रेडिट का लाभ लिया था जिसे 17.74 प्रतिशत की दर पर वापस किया जाना आवश्यक था अतः उपरोक्त गलत-गणना के कारण कम शुल्क वापसी की विभेदक राशि को हमारे द्वारा बताया गया था जिसे आन्तरिक लेखापरीक्षा बताने में असफल रहा था।

5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अवधि का अपूर्ण समावेश

केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 का पैरा 4.2 यह अनुबंध करता है कि लेखापरीक्षा को वर्तमान लेखापरीक्षा की पूर्ववर्ती तिथि से एक पूर्ण माह तक बढ़ा देना चाहिए। हमने ऐसे दो मामले देखे जहां लेखापरीक्षा उचित अवधि तक नहीं बढ़ाया गया था जिनके सोदाहरण निम्न हैं।

5.4.1 इनपुट सेवा क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एल) (ए) के अनुसार इनपुट सेवा अन्य के साथ किसी भवन अथवा सिविल संरचना के निर्माण अथवा कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्रयुक्त कार्य संविदा तथा निर्माण सेवाओं के निष्पादन में प्रयुक्त सेवा अंश को इनपुट सेवा से अलग करता है।

सिलीगुडी कमिश्नरी में मै. सन फार्मा लेबोरेटरीज लि. और हल्दिया कमिश्नरी में मै. के ई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा.लि. ने सिविल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त निर्माण कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट का लाभ लिया, जो अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप मै. सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड के मामले में 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 11.93 लाख और मै. के ई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा.लि. के मामले में 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 8.83 लाख के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

विभाग ने दिसंबर 2013 में मार्च 2013 तक की अवधि तक के लिए मै. सन फार्मा लेबोरेटरीज प्रा. लि. की आन्तरिक लेखापरीक्षा की। मै. के ई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा.लि. के मामले में, विभाग ने अक्टूबर 2014 में मार्च 2014 तक की अवधि के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा की। दोनों ही मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा कमियों को निकालने में असफल रहा। विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए पूर्ण अवधि को भी कवर नहीं किया था जैसा कि लेखापरीक्षा नियमपुस्तक के पैरा 4.2 में अपेक्षित है।

जब हमने इन्हें बताया (मार्च 2015 और सितंबर 2015), तब मंत्रालय ने मै. सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड के मामले में बताया कि निर्धारिती को जारी एससीएन ब्याज और शास्ति सहित मांग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णित किया गया था। निर्धारिती ने ₹ 7.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 8.39 लाख के शुल्क का भुगतान किया था। मै. के ई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा.लि. के मामले में, मंत्रालय ने जून 2017 में सूचित किया कि निर्धारिती ने ₹ 1.06 लाख के ब्याज सहित ₹ 8.83 लाख का शुल्क वापस किया था।

मै. एन फार्मा लैबोरीज लि. के संबंध में कमियों का पता न लगाने के लिए मंत्रालय ने बताया कि बीजकों की अधिक संख्या और श्रमबल की कमी के कारण कमियों की पहचान नहीं हो सकी। मै. कोई टैक्निकल टैक्सटाईल प्रा. लि. के संबंध में यह बताया गया कि चूक करने वाले अधिकारियों से स्पष्टिकरण मांगा जा रहा था। तथापि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा में अवधि की अपूर्णता के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

5.4.2 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त करना।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5(ए) की उप-धाराएं (1) और (1ए) यह प्रावधान करती हैं कि जहाँ किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में उत्पाद शुल्क से पूर्ण रूप से छूट दी जाती है वहां ऐसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का विनिर्माता ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करेगा।

परिपत्र सं. 940/1/2011-सी एक्स दिनांक 14 जनवरी 2011 स्पष्ट करता है कि यदि निर्धारिती ऐसी छूट प्राप्त वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में किसी राशि का भुगतान करता है, तो उक्त को डाउनस्ट्रीम ईकाई के लिए 'सेनवैट क्रेडिट' के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है चूंकि निर्धारिती द्वारा प्रदत्त राशि को सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत 'उत्पाद शुल्क' नहीं कहा जा सकता है। निर्धारिती द्वारा इस प्रकार प्रदत्त और उत्पाद पर शुल्क के रूप में प्रस्तुत कर क्रेताओं से संग्रहीत राशि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11डी की शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार को जमा की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, डाउनस्ट्रीम इकाईयों द्वारा प्रयुक्त ऐसी राशि के सेनवैट क्रेडिट को भी सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 14 के अनुसार वसूलने की आवश्यकता है।

स्पंज आयरन, एमएस बिल्लेट, सिलीकॉन मैगनीज इत्यादि के विनिर्माण में लगे बोलपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. सुपर स्मेल्टर्स लि. (इकाई-III), ने फैरो मैगनीज स्लैग की खरीद की जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क की सामान्य अधिसूचना संख्या 50 (अधिसूचना सं. 12/2012-सीई दिनांक 17 मार्च 2012) के क्रम सं. 57 के तहत शुल्क मुक्त थी। वस्तुओं के शुल्क से मुक्त होने के बावजूद, निर्धारिती ने वस्तुओं की खरीद पर शुल्क का भुगतान किया और क्रेडिट का

लाभ भी प्राप्त किया। यह उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान ₹4.14 लाख के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया गया था जो कि निर्धारिती से उचित ब्याज सहित वसूलने योग्य था।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 के पैरा 4.2 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि के पूर्ववर्ती पूर्ण एक माह तक की अवधि का समावेश करने के बजाय केवल 2013-14 तक की अवधि समावेश करते हुए, मार्च 2015 में की गई थी। इसके अतिरिक्त वार्षिक लेखापरीक्षा करने के लिए अनिवार्य इकाई होने के बावजूद, विभाग ने वर्ष 2014-15 के बाद निर्धारिती की लेखापरीक्षा नहीं की थी। अतः हमारे बताए जाने तक कमी का पता नहीं चल सका।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2015), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2017) और बताया कि एससीएन लगातार जारी किए जा रहे थे। आंतरिक लेखापरीक्षा में पूर्व माह तक की अवधि को कवर न करने के लिए मंत्रालय ने बताया कि उचित दस्तावेजों जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं के बिना अवधि को समावेशित करना लेखापरीक्षा नियम पुस्तक के मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन होगा और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हो सकती है। लेखापरीक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है और पूर्ण वित्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा के लिए ईकाईया पुनः आंशिक की जाती है।

5.5 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों की कमियों का पता न लगाया जाना

लेखापरीक्षा ने 42 मामलों में देखा जहां विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी लेकिन वे निर्धारिती द्वारा की गई कमियों का पता लगाने में असफल हो गये। 22 मामलों में मंत्रालय ने आंतरिक लेखापरीक्षा की कमियों को स्वीकार किया और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ चूककर्ता अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की। ये मामले परिशिष्ट-III में विस्तृत रूप से दिये गये हैं। शेष 20 मामले सोदाहरण नीचे दिये गये हैं।

5.5.1 शुल्क का कम भुगतान

5.5.1.1 मालभाडे के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4 की व्याख्या VI के खण्ड (डी) के अनुसार “संव्यवहार मूल्य” वस्तुएं जब बेची जाती हैं, के लिए वास्तव में दी गई कीमत अथवा देय कीमत के रूप में परिभाषित किया जाता है और मूल्य के रूप में प्रभारित राशि के अतिरिक्त कोई राशि जिसे क्रेता अदा करने के लिए अथवा बिक्री के संबंध में निर्धारिती की ओर से अथवा क्रेता भुगतान करने के लिए दायी है चाहे बिक्री के समय पर अथवा किसी अन्य समय पर देय है शामिल करता है। परन्तु उसके लिए प्रभारित किसी राशि तक अथवा विज्ञापन अथवा प्रचार, विपणन तथा विक्रय संगठन खर्च, भंडारण, बाह्य प्रहस्थान, कमीशन, अथवा किसी अन्य विषय के प्रावधान करने तक सीमित को छोड़ कर परन्तु ऐसी वस्तुओं पर वास्तव देय उत्पाद शुल्क बिक्री कर और अन्य करो यदि कोई हो की राशि को शामिल नहीं करता है।

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 72 एवं 73 के अन्तर्गत आने वाली प्लेटस, ऐन्गल, जी-स्टील टावॅर, पोल्स इत्यादि के विनिर्माण में लगे हैदराबाद III कमिशनरी के अन्तर्गत मै. ऐस्टर प्रा. लि. नालगोडा ने मै. यू.पी. पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लि. और मै. ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन आफ आंध्र प्रदेश लि. को 2012-13 से 2015-16 तक के दौरान फैक्ट्री से निकासी के स्थान तक अर्थात् क्रेता के परिसर को एफओआर गन्तव्य आधार पर माल की निकासी की थी। वस्तुओं के परिवहन का जोखिम और मालिकाना हक वस्तुओं के परिवहन के दौरान निर्धारिती पर रहा। तथापि, क्रेता से प्राप्त परिवहन की लागत पर खर्च ₹ 7.42 करोड़ की उक्त नियम के उल्लंघन में संव्यवहार मूल्य की गणना करते समय कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का अल्प मुल्यांकन हुआ और ₹ 91.87 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे निर्धारिती से ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक था।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मई 2014 तक की अवधि के लिए जून-जुलाई 2014 में की गई थी परन्तु वह चूक खोजने में असफल रही।

जब हमने इसे बताया (जून 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार (अप्रैल 2017) किया और बताया कि ब्याज और शास्ति सहित ₹ 1.25 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा के असफल रहने के लिए, यह बताया गया कि लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर होने के कारण मामले का पता नहीं चला था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पादन शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 का अनुबंध (सी) कहता है कि लाभ एवं हानि लेखा की जांच करते समय भाड़े के रूप में वसूली गई राशि की विस्तृत जांच की जानी चाहिए और 'एफओआर गंतव्य आधार' पर वस्तुओं की आपूर्ति के मुद्दे की जांच की जानी चाहिए थी।

(ii) सेटा 1985 के अध्याय शीर्ष 85 के अन्तर्गत आने वाले पीजेयू भूमिगत केबलों, सिंगल केबलों आदि के विनिर्माण में लगे हैराबाद-III कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. गोलकुंडा इंजिनियरिंग इंटरप्राइजेज लि. मल्लापुर ने 2014-15 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान फैक्ट्री से निकासी के स्थान अर्थात् क्रेता के परिसरों को एफओआर गन्तव्य आधार पर विभिन्न स्थानों पर स्थित भारतीय रेल के विभिन्न जोनों को माल की निकासी की थी। वस्तुओं के परिवहन के दौरान वस्तुओं के परिवहन और स्वामित्व का जोखिम निर्धारिती के पास रहा। तथापि, परिवहन की लागत पर खर्च ₹ 4.34 करोड़ (क्रेता से प्राप्त) की उक्त नियम के उल्लंघन में, संव्यवहार मूल्य की गणना करते समय कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.02 लाख के उत्पादन शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे निर्धारिती से ब्याज सहित वसूले जाने की आवश्यकता थी।

हालांकि, विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2016 तक की अवधि के लिए की गई परन्तु यह कमियों को खोजने में असफल रही।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2016), तब मंत्रालय ने पैरा से यह (अगस्त 2017), कहते हुए असहमति जताई कि विभाग ने नवंबर 2013 में की

गई आंतरिक लेखापरीक्षा में उक्त मुद्दे को पहले ही खोज लिया था और अप्रैल 2012 से सितंबर 2013 की अवधि के लिए ₹ 0.58 लाख के ब्याज सहित ₹ 5.35 लाख और दिसंबर 2013 से फरवरी 2015 की अवधि के लिए ₹ 4.07 लाख की राशि को वसूल किया गया था। आगे यह भी बताया कि मार्च 2012 से सितंबर 2016 की अवधि के लिए ₹ 87.86 लाख का एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की असफलता के लिए मंत्रालय ने बताया कि मुद्दे को नहीं उठाया गया था क्योंकि आपत्ति में सम्मिलित मुद्दे में एस्कार्ट जेसीबी लि. के मामले में शीर्ष कोर्ट का विपरीत निर्णय हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा ने इसी प्रकार के मुद्दे का नवंबर 2013 में पता लगाया था लेकिन बाद में जुलाई 2016 में किये गये लेखापरीक्षा में यह उसी प्रकार की कमियों को पहचानने में असफल हो गया। इसके अलावा, इसी प्रकार के मुद्दे पर शीर्ष कोर्ट के विपरीत निर्णय का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि इसी प्रकार का मुद्दा नवंबर 2013 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था।

(iii) सेटा 1985 के अध्याय शीर्ष 68 के अन्तर्गत आने वाली एसबेस्टस सीमेन्ट शीट और एसबेस्टस अन्य के विनिर्माण में लगी गुटूर कमिश्नरी के अन्तर्गत में. रामको इन्डस्ट्रीज लि. इब्राहिमपटनम ने 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि तक के दौरान फैक्ट्री से निकासी के स्थान अर्थात क्रेता के परिसर को एफओआर गंतव्य आधार पर मै. आन्ध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कॉरपोरेशन लि. और डा. नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन को वस्तुओं की निकासी की थी। वस्तुओं के परिवहन के दौरान वस्तुओं के परिवहन और स्वामित्व का जोखिम निर्धारिती के पास रहा। तथापि खर्च हुई (क्रेता से प्राप्त) ₹ 1.27 करोड़ की परिवहन की लागत की उक्त नियम के उल्लंघन में संव्यवहार मूल्य की गणना करते समय कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का अल्प मूल्यांकन हुआ और ₹ 15.71 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई जिसे निर्धारिती से ब्याज सहित वसूले जाने की आवश्यकता थी।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2015 तक की अवधि के लिए की गई थी लेकिन यह त्रुटि का पता लगाने में असफल रहा।

जब हमने यह बताया (नवम्बर 2016) तब विभाग ने (फरवरी 2017) अपत्ति को स्वीकार किया और बताया (मार्च 2017) कि ₹24.86 लाख के लिए निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था।

मंत्रालय ने यह कहते हुए अपत्ति से असहमति जताई (जुलाई 2017) कि यद्यपि वस्तुओं की निकासी एफओआर गतंव्य आधार पर की गई लेकिन वस्तुएं कैरियर को सौंपी गई थीं और विनिर्माणकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बोर्ड का परिपत्र 999/2015 दिनांक 28 फरवरी 2015 और इस्पात इंडस्ट्रीज लि. 2015(324) ईएलटी 670 (एससी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इसी की पुष्टि करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने एफओआर गतंव्य आधार पर विभिन्न ग्राहको को एसबेस्टोस शीट की निकासी की थी। खरीद आदेशों से यह देखा गया कि जोखिम और परिवहन की लागत की एकमात्र जिम्मेदारी जब तक की वस्तुएं गतंव्य तक नहीं पहुंच जाती निर्धारिती पर रही और वस्तुओं का स्वामित्व विभिन्न गतंव्यों पर वस्तुओं के परिवहन के दौरान निर्धारिती पर रहा। अतः बोर्ड का परिपत्र और शीर्ष न्यायालय निर्णय जिसे मंत्रालय द्वारा उद्धृत किया है, वर्तमान मामले पर लागू नहीं हैं।

(iv) अहमदाबाद-II कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. ल्यूबी इंडस्ट्रीज एलएलपी अहमदाबाद ने 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए अपने परिसर से वस्तुओं की निकासी करने के लिए अपने ग्राहको से माल ढुलाई प्रभार वसूल किया था। तथापि, माल भाड़ा प्रभार पर निर्धारिती द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

हालांकि विभाग ने मार्च-जुलाई 2015 के मध्य आंतरिक लेखापरीक्षा की थी, परन्तु यह त्रुटि को नहीं बता सका।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2015) तब विभाग ने (अगस्त 2016) लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और ब्याज तथा बराबर शास्ति सहित ₹ 41.10 लाख के शुल्क की मांग की पुष्टि की।

तथापि, मंत्रालय ने यह कहते (सितंबर 2017) हुए असहमति जताई कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने कमियों को पहले ही पहचान लिया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है पर विभाग द्वारा एससीएन के साथ-साथ ओआईओ क्योंकि हमारी लेखापरीक्षा के आधार जारी किया गया था।

(v) दमन कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. फरमेनिक एरोमेटिक्स (इ) प्रा. लि. भैंसलोर ने वस्तुओं के मूल्य के अतिरिक्त अपने ग्राहको से माल भाड़ा प्रभार को वसूल किया और अपने माल भाड़ा प्रभार को अलग से बिक्री बीजक में वाणिज्य किया जहां क्रेता के परिसर को निकासी का स्थान दर्शाया गया था। अतः क्रेताओं से निर्धारिती द्वारा वसूला गया माल भाड़ा अतिरिक्त प्रतिफल का भाग बन गया और उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। निर्धारिती ने 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान अपने क्रेताओं से माल भाड़े प्रभार के रूप में ₹ 4.72 करोड़ की राशि वसूल की जिसे निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.85 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे लागू ब्याज सहित वसूले जाने की आवश्यकता थी।

यद्यपि विभाग ने फरवरी 2015 से फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए अप्रैल 2016 में आंतरिक लेखापरीक्षा की थी, परन्तु यह कमियों का पता लगाने में असफल रहा।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2016) तब मंत्रालय ने यह बताते हुए पैरा से असहमति जताई कि विभाग पहले से ही मुद्दे के बारे में जानता था क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उसका पता लगा लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने 7 मार्च 2016 (एचएम दिनांक 7 मार्च 2016) को अनियमितता को बताया था जबकि 11 मार्च 2016 को आंतरिक लेखापरीक्षा का आरंभ किया गया। हमने मार्च 2015 तक की अवधि के लिए आपत्ति उठायी थी जबकि आंतरिक लेखापरीक्षा ने फरवरी 2015 से फरवरी

2016 की अवधि को कवर किया है। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा ने हमारे द्वारा बताए जाने के बाद मुद्दे को उठाया।

(vi) सीईटीए 1985 के अध्याय शीर्ष 39 के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न रंगों के प्लास्टिक क्लोजर्स की वस्तु घटकों के विनिर्माण में लगे हैदराबाद-IV कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. अप्तार ब्यूटी एण्ड होम इन्डिया प्रा.लि. हैदराबाद ने 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान फैक्ट्री से निकासी के स्थान अर्थात् क्रेता के परिसरों को एफओआर गंतव्य आधार पर विभिन्न ग्राहकों को वस्तुओं की निकासी की थी। वस्तुओं के परिवहन के दौरान वस्तुओं के परिवहन और स्वामित्व का जोखिम निर्धारिती के पास रहा। तथापि परिवहन की लागत पर खर्च (क्रेता से प्राप्त) ₹1.89 करोड़ को उक्त नियम के उल्लंघन में संव्यवहार मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹23.37 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे निर्धारिती से ब्याज सहित वसूल किया जाना था।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा दिसंबर 2014 तक की अवधि के लिए फरवरी 2015 में की गई थी लेकिन यह कमी का पता लगाने में असफल रही।

जब हमने यह बताया (फरवरी 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2017) और बताया कि 2011-12 से 2016-17 की अवधि के लिए ₹30.15 लाख हेतु एससीएन जारी किया गया था और मांग की पुष्टि की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक के लिए मंत्रालय ने बताया कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्यांकन और निकासी का स्थान का विषय विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं के लिए खुला है और इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं उठा सका।

(vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 1985 के अध्याय 39 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में लगे अहमदाबाद-II कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. पारिख पैकैजिंग प्रा.लि. ने निर्धार्य मूल्य के अलावा ग्राहको को जारी अपने बिक्री चालान में अलग से ₹7.23 करोड़ राशि का माल भाड़ा वसूल किया था। 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान निर्धारिती ने क्रेता के परिसर को निकासी के स्थान के रूप में दर्शाया था। इसलिए, क्रेता से निर्धारिती द्वारा

वसूला गया माल भाड़ा अतिरिक्त प्रतिफल का भाग था और उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए निर्धार्य मूल्य में सम्मिलित किये जाने योग्या था। तथापि, निर्धारिती ने निर्धार्य मूल्य में क्रेताओं से वसूले गये माल भाड़े को शामिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹89.31 लाख तक की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी का कम भुगतान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा जनवरी-फरवरी 2014 और मई-जून 2015 में विभाग द्वारा की गई थी लेकिन यह कमी का पता लगाने में असफल रही।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (03 जुलाई 2017) और बताया कि ₹ 1.40 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की कमियों के लिए यह बताया गया कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्यांकन और निकासी का स्थान का मुद्दा विभिन्न प्रकार की विवेचनाओं के लिए खुला है। इसलिए आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं उठा सका।

मंत्रालय का उत्तर दोनों उपरोक्त मामलों (vi और vii) में स्वीकार नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने आपत्तियों को स्वीकार किया है। इसके अलावा, मंत्रालय का उत्तर यह दर्शाता है कि भिन्न व्याख्याओं के अधीन मामलों पर अस्पष्टता दूर करने के लिए और सभी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा मामलों का एक समान उपचार सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए स्पष्टीकरण वांछित है।

5.5.1.2 संबंधित इकाई को निकासी की गई वस्तुओं के अवमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मुल्यांकन) नियमावली 2000 के नियम 8 और 9 के साथ पठित नियम 10 के अनुसार, जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी परस्पर संबंधित उपक्रम को अथवा उस के माध्यम से निर्धारिती द्वारा बेचा जाता है अथवा बेचा नहीं जाता बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण में खपत किया जाता है वहां मूल्य

सीएस 4 विवरण के अनुसार तुलना किये गये ऐसे माल के उत्पादन अथवा विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा।

(i) चैन्नै-IV कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. फौरेशिया ऐमिशंस कन्ट्रोल टेक्नॉलोजी इन्डिया प्रा. लि. ने 2013-14 और 2014-15 वर्षों के दौरान क्रमशः ₹ 110.44 करोड़ और ₹ 130.05 करोड़ की कुल राशि के लिए बेंगलोर और पुणे में अपनी संबंधित इकाईयों को वस्तुओं की निकासी की थी। तथापि, निर्धारिती ने मूल्य पर जिस शुल्क का निर्वहन किया वह बेची गई वस्तुओं की लागत से एक सौ दस प्रतिशत से कम था। निर्धारित संव्यवहार मूल्य को न अपनाने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं का अव-मूल्यांकन हुआ और फलस्वरूप शुल्क का कम भुगतान लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा अक्टूबर 2014 में की गई थी, लेकिन यह कमियों का पता लगाने में असफल रही।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2015) तब विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2016) कि वर्ष 2013-14 के लिए निकासी का कुल मूल्य वास्तव में ₹ 106.82 करोड़ था और निर्धारिती ने तब से विभेदक शुल्क ₹ 31.08 लाख का निर्वहन कर चुका था और वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 14.59 लाख (जून 2016) के ब्याज का भुगतान भी किया था। विभाग ने आगे बताया (मार्च 2017) कि वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती ने ₹ 13.26 लाख के ब्याज सहित ₹ 36.33 लाख का भुगतान किया।

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2017) और वसूली की पुष्टि की। आंतरिक लेखापरीक्षा असफल रहने के लिए, यह बताया गया कि लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर किये जाने के कारण मामले का पता नहीं लग सका।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 का अध्याय-7 विशेष परिस्थितियों में दिशा निर्देशों को निर्दिष्ट करता है जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी सम्मिलित है कि सहायक इकाईयों को की गई निकासी अवमूल्यांकन उन्मुख है इसलिए सहायक इकाईयों को की गई सभी निकासियां आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांची जानी चाहिए थी।

(ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 44 में आने वाले प्लाईवुड आदि के विनिर्माण में लगे सिलीगुडी कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. तिरुपति प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अभिलेखों की संवीक्षा दौरान यह देखा गया कि निर्धारिती ने अपने तैयार माल को अपनी संबंधित पार्टी में. रीगल उद्योग प्रा. लि. को बेचा।

तथापि, संबंधित पार्टी ने जिस कीमत पर अंतिम क्रेता को (संबंधित नहीं था) उक्त माल को बेचा वह कीमत से लगभग 4 प्रतिशत अधिक थी जिस पर माल संबंधित पार्टी को बेचा गया था। अतः निर्धारिती उस मूल्य पर शुल्क भुगतान का दायी था जिस पर माल संबंधित पार्टी द्वारा क्रेताओं को बेचा गया था। तथापि, निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यनिर्धारण नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उस कीमत पर शुल्क का भुगतान किया था जिस पर संबंधित पार्टी को माल बेचा गया था। इसके परिणामस्वरूप 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान अवनिर्धारण के कारण ₹ 7.56 लाख के केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ था।

यद्यपि विभाग ने मार्च 2013 तक की अवधि को कवर करते हुए अक्टूबर 2013 में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की थी परन्तु यह चूक का पता लगाने में विफल रहा।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2015), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) तथा सूचना दी कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 17.63 लाख के लिए एससीएन जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा विफलता के लिए इसने बताया कि नमूना जांच आधार पर लेखापरीक्षा करने के कारण मामले का पता नहीं चला था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक के अध्याय 7 में विशेष परिस्थितियों में दिशानिर्देश निर्दिष्ट किए गए थे जिसमें संबंधित इकाईयां शामिल हैं, क्योंकि सहायक इकाईयों को भेजे गए माल के अवनिर्धारण की संभावना है, अतः सहायक इकाई की सभी निकासियों की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांच की जानी चाहिए।

(iii) रॉची-1। (बोकारो) कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. संतपुरिया एलॉय (पी) लिमिटेड, गिरीडीह ने 2013-14 की अवधि के दौरान उत्पादन की लागत से कम निर्धारणीय मूल्य पर मै. मोंगिया स्टील लिमिटेड, गिरीडीह (संबंधित पार्टी) को स्पंज लौह (अंतिम उत्पाद) की निकासी की थी। चूंकि माल की निकासी का निर्धारणीय मूल्य उत्पादन लागत से कम था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.51 लाख तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम उदग्रहण हुआ था।

विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा नवम्बर 2015 में की गई थी परन्तु इसमें चूक का पता नहीं चला।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2016), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) तथा सूचना दी (मई 2017) कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 1.74 करोड़ की राशि हेतु एससीएन जारी कर दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

5.5.1.3 कोयले पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वच्छ ऊर्जा उपकरण का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 4(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है या जो मालगोदाम में ऐसे माल का भंडारण करता है, नियम 8 या किसी अन्य कानून में निर्दिष्ट तरीके से ऐसे माल पर उदग्रहणीय शुल्क का भुगतान करेगा तथा किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल को जिस पर कोई शुल्क देय है, किसी स्थान से जहां इनका उत्पादन या विनिर्माण हुआ है या मालगोदाम से शुल्क भुगतान के बिना नहीं हटाया जाएगा, जब तक इसके लिए कोई प्रावधान न हो। तथ्यों के छिपाव या छलकपट/ मिथ्याकथन आदि द्वारा भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए शुल्क पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एसी के अन्तर्गत शास्ति लगाई जाएगी।

धनबाद कमिश्नरी के तहत एक निर्धारिती मै. सेल चसनाला, जितपुर तथा तसरा के 2012-13 की अवधि के अभिलेखों (अन्य कोयला धुलाई उत्पादन विवरण, विद्युत परियोजना को सीधा प्रेषण विवरण तथा ईआर-1 विवरणी लेखापरीक्षा) की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने अन्य कोयला उत्पादन 4,54,775 एमटी दर्शाया था तथा 64,082 एमटी कोयला 2012-13 के दौरान तसरा खदानों से सेल की विद्युत परियोजना (बीएसएल, बीएसपी तथा आरएसपी) को सीधे हस्तांतरित किया गया था। आगे की जांच से पता चला कि इस अवधि हेतु ईआर-1 में अन्य कोयले का कुल उत्पादन केवल 4,80,593.33 एमटी लिया गया था। इस प्रकार निर्धारिती ने ईआर -1 विवरणी में अन्य कोयले को 38,263.67 एमटी कोयला (4,54,775 एमटी + 64,082 एमटी - 4,80,593.33 एमटी = 38,263.67 एमटी) तक कम बताया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.48 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ। ब्याज और शास्ति के अतिरिक्त ₹ 19.13 लाख का स्वच्छ ऊर्जा उपकर भी कम लेखांकित कोयले पर उदग्रहणीय था।

यद्यपि विभाग द्वारा मई 2014 में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, फिर भी यह चूकों को पता लगाने में विफल रहा।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2015), विभाग ने कहा कि निर्धारिती को ₹ 94.61 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

5.5.1.4 छूट का अनियमित लाभ उठाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

अधिसूचना सं. 1/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 01 मार्च 2011, अधिसूचना सं. 16/2012-सीई दिनांक 17 मार्च 2012 के माध्यम से यथा संशोधित, में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत उदग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से सीईटीए, 1985 के अध्याय उप शीर्षक 22029020 के तहत आने वाले उत्पादन शुल्क योग्य माल से छूट दी गई है जितना कि मूल्यानुसार दो प्रतिशत की दर पर परिकलित राशि के आधिक्य में है।

यद्यपि अधिसूचना में निर्दिष्ट कुछ भी उस माल पर लागू नहीं होगा जिसके संबंध में इनपुट पर शुल्क या इनपुट सेवाओं पर कर का क्रेडिट सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के प्रावधानों के तहत लिया गया हो।

मै. वरुण बेवरेज लिमिटेड, भिवाड़ी ने वर्ष 2012-13 के दौरान उपरोक्त छूट अधिसूचना का लाभ उठाते हुए सीईटीएसएच 22029020 के तहत आने वाले फलों के रस आधारित पेयों के हटाव/निकासी पर मूल्यानुसार दो प्रतिशत की दर पर शुल्क का भुगतान किया था। तथापि, निर्धारिती ने उक्त माल के विनिर्माण में उपयोग की गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट लिया था। अतः निर्धारिती छूट अधिसूचना का लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं था तथा उससे निकासियों पर मूल्यानुसार 6.18 प्रतिशत की लागू दर पर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था। अतः छूट अधिसूचना का अनियमित रूप से लाभ उठाने के परिणामस्वरूप उपकर सहित ₹ 52.80 लाख के उत्पादशुल्क का कम भुगतान हुआ था।

आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2014 में की गई थी परन्तु लेखापरीक्षा दल चूक का पता लगाने में विफल रहा।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2015) मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2017) तथा बताया कि ₹ 1.28 करोड़ की मांग की पुष्टि हो गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा विफलता के लिए यह बताया गया कि नमूना जांच आधार पर लेखापरीक्षा करने के कारण मामले का पता नहीं चला था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2008 के संलग्नक सी (iv) में निर्धारिती द्वारा ली गई छूट की यथार्थता की जांच हेतु विशिष्ट जांच बिंदु निर्धारित थे।

5.5.2 सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

5.5.2.1 निर्माण सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) में परिभाषित 'इनपुट सेवा' में निर्माण कार्य ठेका तथा निर्माण सेवाओं के कार्यान्वयन में सेवा भाग सम्मिलित नहीं है जहां तक इनका विशिष्ट सेवा के प्रावधान को छोड़ कर भवन के निर्माण ठेका या सिविल संरचना या उसके भाग के निर्माण या

कार्यान्वयन में उपयोग किया गया है। नियम 14 के तहत सेनवैट क्रेडिट गलत प्राप्त करने या उपयोग पर ब्याज देय है।

चेन्नै- IV कमिश्नरी के तहत मै. फर्स्ट इंजीनियरिंग प्लास्टिक इंडिया प्रा. लिमिटेड (सीईटीएसएच 87082900 के तहत प्लास्टिक मोल्डिंग घटकों के विनिर्माता) ने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान भवन तथा निर्माण सेवाओं के प्रति भुगतान किए गए सेवा कर पर ₹ 46.42 लाख का सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था। चूंकि निर्धारित निर्माण कार्य ठेका सेवाएं प्रदान नहीं करता है, अतः कुल ₹ 46.42 करोड़ की सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाना गलत था तथा लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

निर्धारित की आन्तरिक लेखापरीक्षा जनवरी 2014 में की गई थी परन्तु यह चूक का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2015) मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2017) तथा बताया कि ₹ 12.75 लाख के ब्याज तथा ₹ 8.94 लाख की शास्ति सहित समस्त राशि की वसूली कर ली गई थी। विभाग ने ₹ 33.16 लाख की वसूली की सूचना दी थी (अगस्त 2016)। आंतरिक लेखापरीक्षा विफलता हेतु यह बताया गया कि मामले का अनजाने में पता नहीं चल सका, हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा में ₹ 4.65 लाख मूल्य की 6 आपत्तियाँ पता चली थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा में 6 आपत्तियाँ पता चली जिसमें ₹ 4.65 लाख की राशि शामिल थी परन्तु ₹ 46.42 लाख मूल्य की आपत्ति छूट गई थी। मंत्रालय को उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

5.5.2.2 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना तथा उपयोग

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(एल) के अनुसार इनपुट सेवा का तात्पर्य अंतिम उत्पादों के विनिर्माण और हटाव स्थल तक अंतिम उत्पादों की निकासी में या उस के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में , (i) आउटपुट सेवा उपलब्ध कराने हेतु आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग की जाने वाली या (ii) विनिर्माता द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी सेवा से है और इसमें

अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन या बिक्री प्रोत्साहन के संबंध में उपयोग की गई सेवा शामिल है।

(i) नागपुर-1। कमिश्नरी में सीईटीए, 1985 के अध्याय 29 तथा 30 के तहत आने वाली दवाईयों के विनिर्माण में लगे मै. जिम लेबोरिटरीज लिमिटेड ने 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान निर्यात आदेशों की खरीद हेतु विदेशी विनिमय में विदेशी कमीशन एजेंटों को कमीशन का भुगतान किया था और अधिसूचना सं. 18/2009-एसटी तथा 42/2012-एसटी के तहत छूट लाभ प्राप्त करने के बाद सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में कारोबार सहायक सेवाएं श्रेणी के तहत तदनुसार सेवा कर का भुगतान किया था। उपरोक्त अवधि हेतु फॉर्म इएक्सपी 4 ईआर-1 तथा सेनवैट क्रेडिट अभिलेखों में विवरणियों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने निर्यात आदेश की अधिप्राप्ति हेतु कमीशन पर भुगतान किए गए सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु भी उक्त का उपयोग किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया तथा उपयोग किया गया।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2015 तक की अवधि को कवर करते हुए की गई थी किन्तु लेखापरीक्षा दल हमारे द्वारा बताई गई चूक का पता लगाने में विफल रहा।

हमने इस बारे में बताया (मार्च 2016)।

(ii) वडोदरा -1। कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. स्टाइरोल्यूशन एबीएस (इंडिया) ने इसके मुख्य कार्यालय द्वारा जारी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) बीजकों के आधार पर इसके कमीशन एजेंटों को भुगतान की गई बिक्री कमीशन राशि में शामिल सेवा कर के संबंध में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 28.38 लाख के सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था। बिक्रियों पर कमीशन पर भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं है जब तक कि सेवा में बिक्री प्रोत्साहन शामिल न हो। अतः ₹ 28.38 लाख का सेनवैट क्रेडिट अनियमित था और लागू ब्याज सहित इसकी वसूली करना अपेक्षित था।

विभाग द्वारा सितम्बर 2010, मार्च 2013 तथा दिसम्बर 2014 में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी। किन्तु यह चूक का पता नहीं लगा सकी।

हमने इस बारे में बताया (मार्च 2015)।

मंत्रालय ने यह कहते हुए अभ्युक्तियों स्वीकार नहीं किया (सितम्बर 2017) कि कमीशन एजेंट की सेवाएं कारबार सहायक सेवा के तहत आती हैं तथा अम्बिका ओवरसीज के मामले में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय (2011(7) टीएमआई 980) के साथ-साथ बोर्ड परिपत्र 943/2011 ने स्पष्ट किया कि बिक्रियों पर कमीशन के आधार पर सेनवैट क्रेडिट को इनपुट सेवा की परिभाषा के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा अधिसूचना सं. 02/2016 दिनांक 3 फरवरी 2016 के माध्यम से यह स्पष्ट करते हुए सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1) के साथ व्याख्या जोड़ी गई है कि बिक्री प्रोत्साहन में कमीशन आधार पर शुल्कयोग्य माल की बिक्री के माध्यम से सेवा शामिल है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैडिला हैल्थकेयर लिमिटेड के समान मामले में (2013(30) एसटीआर 3 (गुज.) गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि बिक्री कमीशन पर सेनवैट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है यदि इसमें प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप शामिल न हो। साथ ही, नियम 2(एल) में व्याख्या भी फरवरी 2016 में जोड़ी गई थी, अतः यह पूर्व अवधि पर लागू नहीं था।

5.5.2.3 आईएसडी के अन्तर्गत मुख्य कार्यालय द्वारा संवितरित अचल संपत्ति को किराए पर देने से इनपुट सेवा क्रेडिट के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 7 इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा क्रेडिट के वितरण के तरीके का प्रावधान करता है जिसके उपनियम (डी) के अनुसार सभी इकाइयों को इनपुट सेवा के रूप में आरोप्य सेवा कर के क्रेडिट को संबंधित अवधि के दौरान सभी इकाइयों के कुल कारबार के यथानुपात ऐसी इकाइयों के कारबार के आधार पर सभी इकाइयों को वितरित किया जाएगा।

दमन कमिशनरी के अन्तर्गत आने वाले मै. फरमेनिक एरोमेटिक्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड ने सितम्बर 2014 से मार्च 2015 तक अचल सम्पत्ति को किराए पर देने हेतु भुगतान किए गए सेवा कर के आईएसडी के रूप में इसके मुख्य कार्यालय द्वारा वितरित ₹ 1.33 करोड़ के सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया था। हमने देखा कि निर्धारिती के पास एक अन्य इकाई मै. फरमेनिक एरोमेटिक्स प्रोडक्शन (इंडिया) प्रा. लिमिटेड दाहेज है जो कि एक कर छूट प्राप्त सेज इकाई है। यद्यपि दोनों इकाईयों (दमन के साथ साथ दाहेज इकाई) का समान पंजीकृत मुख्य कार्यालय है, फिर भी मुख्य कार्यालय ने गलत रूप से इसकी उत्पाद शुल्क योग्य इकाई अर्थात केवल दमन इकाई को ही समस्त सेनवैट क्रेडिट संवितरित किया था। इसके परिणामस्वरूप मुख्य कार्यालय द्वारा वितरित समस्त इनपुट सेवा के सेनवैट क्रेडिट की गलत रूप से लाभ उठाया गया।

विभाग ने फरवरी 2015 से फरवरी 2016 की अवधि हेतु निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 में की थी किन्तु लेखापरीक्षा दल चूक का पता नहीं लगा सका।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2016) मंत्रालय ने यह कहते हुए अभ्युक्ति से असहमति जताई (सितम्बर 2017) कि विभाग को निर्धारिती द्वारा चूक के बारे में पहले से जानकारी थी क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उक्त का पता लगा लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने इस अनियमितता के बारे में 7 मार्च 2016 को (एचएम सं.7 दिनांक 7 मार्च 2016 के माध्यम से) बताया था और आंतरिक लेखापरीक्षा 11 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। हमने मार्च 2015 तक की अवधि हेतु टिप्पणी की थी और आंतरिक लेखापरीक्षा में फरवरी 2015 से फरवरी 2016 की अवधि को कवर किया गया था। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा ने हमारे द्वारा बताए जाने के बाद मामले को उठाया था।

5.5.3 सेनवैट क्रेडिट वापस न करना/कम वापस करना

5.5.3.1 अप्रचलित इनपुट हेतु किए गए प्रावधान पर सेनवैट क्रेडिट वापस न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(5) प्रावधान करता है कि किसी इनपुट या पूंजीगत माल के मूल्य को, जिसपर सेनवैट क्रेडिट लिया गया था, इसे उपयोग हेतु रखने से पूर्व पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है या जहां लेखा बही में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डालने के लिए कोई प्रावधान किया गया है तब विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट या पूंजीगत मामले के संबंध में लिए गए सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

बडी करदाता इकाई (एलटीयू) बेंगलोर कमिश्नरी के तहत में. वोल्वो इंडिया प्रा. लिमिटेड बेंगलोर टिपर्स, ट्रैक्टरों, ट्रेलरों तथा चैसिस का विनिर्माण करता है। निर्धारिती ने अप्रचलित इनपुटों, जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया था, हेतु वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 9.53 करोड़ का प्रावधान किया। हालांकि, निर्धारिती ने इन अप्रचलित इनपुटों पर लिए गए ₹ 1.56 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं किया था।

बडी करदाता इकाई, बेंगलोर की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई ने सितम्बर-अक्तूबर 2015 में निर्धारिती की लेखापरीक्षा की थी किन्तु यह चूक का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2016) विभाग ने सूचना दी कि निर्धारिती ने सेनवैट अकाउंट से ₹ 1.56 करोड़ वापस दिये थे।

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2017) किन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के लिए इसने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने से पूर्व हमारी लेखापरीक्षा शुरू हो गई थी तथा चूंकि यह मामला हमारे द्वारा उठाया गया था, अतः दोहरीकरण से बचने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा में उक्त मामला नहीं उठाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की तिथियों से पता चला कि आंतरिक लेखापरीक्षा 8 अक्तूबर 2015 को पूरी हो

गई थी जो कि हमारी लेखापरीक्षा से काफी पहले था। अतः मंत्रालय का यह दावा मान्य नहीं है कि आंतरिक लेखापरीक्षा हमारी लेखापरीक्षा के समय तक पूरी नहीं हुई थी।

5.5.3.2 बड़े खाते में डाली गई इनपुट सामग्री पर सेनवैट क्रेडिट शुल्क वापस न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(5बी) प्रावधान करता है कि यदि किसी इनपुट के मूल्य, जिसपर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है, को पूर्ण या आंशिक रूप से बड़े खाते में डाल दिया गया है या जहां लेखा बही में इसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बड़े खाते में डालने के लिए कोई प्रावधान किया गया है तब विनिर्माता से उक्त इनपुटों पर लिए गए सेनवैट क्रेडिट को वापस करना अपेक्षित है।

कोल्हापुर कमीशनरी में सीईटीए, 1985 के अध्याय 87 के तहत आने वाले ऑटो पार्ट्स के विनिर्माण में लगे मै. स्पाइसर इंडिया प्रा. लिमिटेड ने वर्ष 2014-15 में ₹ 94.64 लाख तथा वर्ष 2015-16 में ₹ 143.13 लाख मूल्य की इनपुट सामग्री को बड़े खाते में डाल दिया था। तथापि, निर्धारिती ने प्रावधान के अनुसार बड़े खाते में डाली गई उपरोक्त इनपुट सामग्री के प्रति सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.59 लाख का सेनवैट क्रेडिट वापस नहीं किया गया।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए जून 2016 में की गई थी किन्तु लेखापरीक्षा दल चूक के बारे में बताने में विफल रहा।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2016), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया (जून 2017) तथा बताया कि निर्धारिती को ₹ 29.59 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था और उसने ₹ 11.01 लाख का सेनवैट क्रेडिट वापस कर दिया था और ₹ 2.54 लाख के ब्याज तथा ₹ 1.65 लाख की शास्ति का भुगतान किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता हेतु यह बताया गया कि लेखापरीक्षा को नमूना जांच आधार पर करने के कारण मामले का पता नहीं चला था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल को बड़े खाते में डालने की जानकारी वित्त लेखाओं में उपलब्ध होती है, अतः लेखापरीक्षा दल को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या बड़े खाते में डाले गए माल पर क्रेडिट वापस किया गया था।

5.5.3.3 गलत गणना के कारण सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अनुसार इनपुट या इनपुट सेवाओं के सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने वाले तथा इनपुट एवं इनपुट सेवाओं का लाभ उठाने, खपत और मालसूची के लिए अलग लेखाओं न रखने वाले शुल्कयोग्य और छूट प्राप्त माल के विनिर्माता या कर योग्य तथा छूट प्राप्त आऊटपुट सेवाओं के प्रदाता छूट प्राप्त माल और सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि या उप नियम (3ए) के तहत निर्धारित छूट प्राप्त माल और सेवाओं पर प्राप्त किए गए क्रेडिट के अनुपात में राशि का भुगतान करेगा। सेनवैट क्रेडिट नियमावली का नियम 6(6) बताता है कि नियम 6 के उप नियम (1) से (4) के प्रावधान निर्यात हेतु निकासियों पर लागू नहीं थे।

(i) कोचीन कमिश्नरी में मै. सिन्थाइट इन्डस्ट्रीज लि. कोलेनचेरी ने शुल्कयोग्य तथा छूट प्राप्त माल का विनिर्माण किया और करयोग्य तथा छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान की हैं। निर्धारिती ने नियम 6(3)(ii) के तहत क्रेडिट के आनुपातिक भुगतान का विकल्प चुना था, चूंकि इनपुट तथा इनपुट सेवाओं के लेखाकरण हेतु किसी पृथक लेखा का रख रखाव नहीं किया गया था। तथापि, निर्धारिती ने इनपुट सेवाओं के संबंध में वापसी हेतु आनुपातिक राशि की गणना के लिए निर्यात निकासी के मूल्य पर भी विचार किया था। इसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 17.26 लाख की कम सेनवैट क्रेडिट राशि लौटाई गई थी।

विभाग द्वारा नवम्बर 2012 तक की अवधि को कवर करते हुए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, इसमें चूक का पता नहीं चला था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) तथा बताया कि 2011-12 से 2014-15 की अवधि हेतु निर्धारिती को ₹ 8.72 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। मंत्रालय ने आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के लिए बताया कि हमारी

लेखापरीक्षा के साथ-साथ की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में भी मामले का पता चल गया था और दोनों की टिप्पणियों पर विचार करते हुए कार्रवाई की गई थी, अधिक अवधि को कवर करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को जनवरी 2014 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में मामले पता चला था किन्तु उक्त का नवम्बर 2012 तक की अवधि को कवर करते हुए पहले की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में पता नहीं चला था। हालांकि यह मामला वर्ष 2011-12 से लगातार जारी था।

(ii) विशाखापट्टनम कमिश्नरी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 23 के तहत आने वाले मेज स्टार्च पाउडर, मेज ग्लुटेन आदि के विनिर्माण में लगे मै. विजयनगर बायोटेक लि. ने अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के बीच की अवधि के दौरान शुल्कयोग्य तथा छूट प्राप्त माल दोनों की निकासी की थी। निर्धारिती ने इनपुट तथा इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखे नहीं बनाए थे और सीसीआर 2004 के नियम 6(3) के अनुसार आनुपातिक आधार पर सेनवैट क्रेडिट वापस करने का विकल्प चुना था। यह देखा गया कि सेनवैट क्रेडिट लौटाते समय निर्धारिती ने विशेष माह की समाप्ति पर छूट प्राप्त और शुल्क योग्य टर्न ओवर पर विचार करते हुए ऐसी वापसी की प्रत्येक माह गणना की थी, ओर वर्ष की सामाप्ति पर एसी वापसी राशि का अंतिम रूप से निर्धारण भी नहीं किया गया था।

इसके अलावा, इनपुट सेवाओं के संबंध में वापसी प्राप्त किए गए कुल सेवा कर क्रेडिट के बजाय सामान्य सेवाओं पर लिए गए इनपुट सेवा क्रेडिट पर ही की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.02 लाख के सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी हुई जो ₹ 4.46 लाख के ब्याज सहित लौटाना अपेक्षित था।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा अप्रैल 2012 से मार्च 2015 की अवधि के लिए की गई थी किन्तु चूक का पता नहीं चला था।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2015) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (जुलाई 2017) तथा बताया कि निर्धारिती को ब्याज सहित ₹ 17.04 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा

की चूक हेतु इसने बताया कि नियम 6(3ए) के तहत फार्मूले में संदर्भित छूट प्राप्त माल/सेवाओं का मूल्य केवल उन छूट प्राप्त माल/सेवाओं के संदर्भ में होगा जिसके संदर्भ में सेनवैट क्रेडिट सामान्य इनपुटों/इनपुट सेवाओं के लिए लिया गया है। उन छूट प्राप्त माल/छूट प्राप्त सेवाओं जिनके संबंध में कोई क्रेडिट नहीं लिया गया है, ऐसे सामान्य इनपुटों/इनपुट सेवाओं के संबंध में भी, को फॉर्मूला में शामिल नहीं किया जाएगा। उपरोक्त के मद्देनजर आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया कदम सेनवैट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 के उद्देश्य के अनुरूप है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मौजूदा मामले में निर्धारिती ने शुल्कयोग्य तथा छूट प्राप्त माल में उपयोग की गई सामान्य इनपुट सेवा पर लिए गए इनपुट सेवा क्रेडिट को ही लौटाया था और अन्य सेवाओं पर लिए गए क्रेडिट को छोड़ दिया था। मंत्रालय का उत्तर टिप्पणी से संबन्धित नहीं है क्योंकि यह छूट प्राप्त सेवा को छोड़ने का मामला नहीं था जिस पर कोई क्रेडिट नहीं लिया गया था जैसा कि मंत्रालय ने तर्क दिया था।

5.6 विविध मामले

हमने विभाग द्वारा प्रक्रिया/नियंत्रण तंत्र के अननुपालन के पाँच मामले भी देखे जिन्हें नीचे दर्शाया गया है-

5.6.1 शुल्क के कम भुगतान की वसूली हेतु विभाग की निष्क्रियता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी उत्पादशुल्क योग्य माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है या जो भंडारागार में ऐसे माल का भंडारण करता है नियम 8 या किसी अन्य कानून में दिए गए तरीके से ऐसे माल पर उदग्रहणीय शुल्क का भुगतान करेगा तथा किसी उत्पादशुल्क योग्य माल को, जिस पर कोई शुल्क देय है, किसी स्थान, जहां इनका उत्पादन या विनिर्माण हुआ है या भंडारागार, से शुल्क भुगतान के बिना हटाया नहीं जाएगा।

सिलवासा कमिश्नरी के तहत आने वाले मै. नीलगिरी हर्बल्स तथा एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. द्वारा जुलाई-सितम्बर 2014 की तिमाही हेतु फाइल की गई ईआर-3 रिटर्न की संवीक्षा के दौरान यह पता चला कि निर्धारिती ने

₹16.92 लाख के देय शुल्क के प्रति सेनवैट क्रेडिट अकाउंट में डेबिट के माध्यम से केवल ₹ 2.88 लाख का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹14.55 लाख का कम भुगतान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था। विभाग ने कम भुगतान किए गए शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के बारे में नहीं बताया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) तथा सूचना दी कि निर्धारिती ने ₹ 1.35 लाख के ब्याज तथा ₹ 1.16 लाख की शास्ति सहित ₹ 14.55 लाख का भुगतान कर दिया है इसने आगे बताया कि संवीक्षा हेतु बड़ी संख्या में रिटर्नों के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय पर कार्रवाई न करने से मामला काल बाधित हो सकता था तथा परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होती।

5.6.2 कारण बताओ नोटिस में कम मांग उठाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार जहां सेनवैट क्रेडिट गलत रूप से लिया गया या उपयोग किया गया है या त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिदाय किया गया है, वहां उक्त की आऊटपुट सेवा के विनिर्माता या प्रदाता से ब्याज सहित वसूली की जाएगी तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11ए तथा 11 एबी तथा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 तथा 75 के प्रावधान ऐसी वसूलियों को प्रभावी करने के लिए यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(i) कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. रायटर इंडिया प्रा. लि., केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 84 के तहत आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में लगा है। विभाग ने हमारी आपत्ति के आधार पर नवम्बर 2012 से अप्रैल 2014 तथा मई 2014 से जनवरी 2015 की अवधि के लिए सेनवैट क्रेडिट की गलत प्राप्ति को अननुमत करने हेतु निर्धारिती को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। विभाग ने ओआईओ दिनांक 10 मार्च 2016 के माध्यम से इन एससीएन का अधिनिर्णय किया था तथा ₹ 1.41 करोड़ की मांग की पुष्टि की। निर्धारिती ने उक्त को स्वीकार

किया तथा लौटा दिया। तथापि, 2013-14 से 2015-16 की अवधि हेतु इन एससीएन, ओआईओ तथा सेनवैट क्रेडिट रजिस्टर की संवीक्षा से पता चला कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए सेनवैट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति की कुल राशि की गणना करते समय विभाग ने अगस्त 2014 के माह के दौरान निर्धारिती द्वारा अनियमित रूप से लाभ उठाए गए ₹ 27.15 लाख के सेनवैट क्रेडिट की राशि पर विचार नहीं किया था। तथापि, निर्धारिती द्वारा उक्त क्रेडिट उनके सेनवैट क्रेडिट अकाउंट से लौटाया गया था और न ही विभाग ने मई 2014 से जनवरी 2015 की अवधि हेतु एससीएन में ₹ 27.15 लाख की मांग उठाते समय निर्धारिती द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजकों के ब्योरों की जांच की थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016) मंत्रालय ने पैरा को आंशिक रूप से स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि निर्धारिती ने ₹ 4.03 लाख की शास्ति सहित ₹ 27.15 लाख का क्रेडिट वापस कर दिया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि निर्धारिती ने विभाग को अधूरी सूचना दी थी जिसे एससीएन तैयार करते समय आधार के रूप में लिया गया था तथा सही सूचना प्रस्तुत करना निर्धारिती की जिम्मेदारी थी।

(ii) 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए सेनवैट क्रेडिट रजिस्टर की आगे की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विभाग द्वारा एससीएन जारी किए जाने के बाद भी फरवरी 2015 तथा मार्च 2015 माह में ₹ 23.17 लाख की आईटी सेवाओं पर अपात्र सेनवैट क्रेडिट भी गलत रूप से लिया था। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि विभाग मई 2014 से जनवरी 2015 की अवधि के लिए एससीएन जारी करते समय उक्त अवधि हेतु निर्धारिती द्वारा लाभ उठाए गए अपात्र सेनवैट क्रेडिट की राशि को शामिल करने में विफल रहा जबकि एससीएन मई 2015 में जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.17 लाख के अपात्र सेनवैट क्रेडिट की वापसी हेतु एससीएन में कम मांग उठाई गई।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016) मंत्रालय ने पैरा को आंशिक रूप से स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि निर्धारिती ने ₹ 3.47 लाख की शास्ति सहित ₹ 23.17 लाख का क्रेडिट वापस कर दिया था।

मंत्रालय ने फिर बताया कि निर्धारिती ने विभाग को अधूरी सूचना दी थी जिसे एससीएन तैयार करने के लिए आधार के रूप में लिया गया था और सही सूचना प्रस्तुत करना निर्धारिती की जिम्मेदारी थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि एससीएन तैयार करते समय तथा अधिनिर्णय के समय निर्धारिती द्वारा दी गई सूचना की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

5.6.3 काल बुक मामलों की अप्रभावी समीक्षा

सीबीईसी का दिनांक 14 दिसम्बर 1995 का परिपत्र संख्या 162/73/95-सीएक्स निर्धारित करता है कि केवल निम्नलिखित वर्गों के मामलों को कॉल बुक में हस्तांतरित किया जा सकता है:-

- (i) वह मामले जिनमें विभाग ने उपयुक्त प्राधिकरण को अपील की थी;
- (ii) वह मामले जहां सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईजीएटी आदि द्वारा आदेश दिया गया था;
- (iii) वह मामले जहां लेखापरीक्षा आपत्तियों पर असहमति हो; तथा
- (iv) वह मामले जहां बोर्ड ने विशेष रूप से इसे लम्बित रखने और कॉल बुक में प्रविष्ट करने का आदेश दिया था।

लम्बित कॉल बुक मदों की आवधिक समीक्षा की हेतु कमिश्नरियों को निर्देश जारी किए गए थे।

बड़ी करदाता इकाई बेंगलोर में कॉल बुक में लम्बित एससीएन की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 9.06 करोड़ की कुल मांग वाले 25 एससीएन कॉल बुक में लम्बित थे यद्यपि ये मामले बोर्ड के निर्देशों के अनुसार अधिनिर्णयन के योग्य थे। चूंकि ये मामलें अब कॉल बुक में रखने के लिए मान्य नहीं थे अतः विभाग को इन मामलों को कॉल बुक से हटाना चाहिए तथा अधिनिर्णीत करना चाहिए था।

कॉल बुक में एससीएन को गलत रोक कर रखने के फलस्वरूप केवल वसूली योग्य राजस्व ही अवरूद्ध नहीं हुआ अपितु इसने आयुक्तालयों द्वारा किए गए

कॉलबुक मामलों की अप्रभावी आवधिक समीक्षा तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा खराब निगरानी को भी दर्शाया।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2015) तो विभाग ने कॉल बुक से मामले निकाल लिये तथा मार्च 2016 से जुलाई 2016 के दौरान 23 एससीएन अधिनिर्णीत किये जहां तीन एससीएन (₹ 25.76 लाख वाले) में मांग की आंशिक रूप से पुष्टि की गई थी तथा एकल निर्धारिती से संबंधित 20 एससीएन (₹ 5.32 करोड़ सहित) बन्द कर दिए गए थे। शेष दो एससीएन (₹ 3.49 करोड़ वाले) अधिनिर्णय के अन्तर्गत थे (जनवरी 2017)।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति का विरोध किया (अप्रैल 2017) कि 25 एससीएन में से 24 एससीएन में, विभाग की अपील को अस्वीकृत किया गया तथा एक मामले में, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की गई थी। इस प्रकार कॉल बुक से मामले निकालने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजस्व का अवरोधन नहीं हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मुद्दा केवल अधिनिर्णयन में विलम्ब के कारण राजस्व के अवरोधन का ही नहीं है अपितु अधिनिर्णयन के लिए समय पर कॉल बुक से मामले लेने में विभाग की विफलता का है। चाहे मामले का निर्णय राजस्व के पक्ष में हो या अन्यथा नहीं इसे अधिनिर्णयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही जाना जाता है। जहां किसी मामले का निर्णय विभाग के पक्ष में हो इसे समय पर अधिनिर्णयन न करने के परिणामस्वरूप राजस्व का अवरोधन होगा। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त कारण के बिना कॉल बुक में एससीएन को रखना एक नियंत्रण चूक है।

5.6.4 समय बाधित होने वाली मांग के कारण राजस्व हानि

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए में प्रावधान है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी सुसंगत तिथि से एक वर्ष के अन्दर उस शुल्क को प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जो उदग्रहीत नहीं हुआ अथवा भुगतान नहीं किया गया या जिसका कम उदग्रहण किया गया या कम भुगतान किया गया अथवा जिसका गलती से प्रतिदाय किया गया है। शुल्क को प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से जहां किसी उत्पाद शुल्क का उदग्रहण अथवा भुगतान नहीं किया गया है या कम उदग्रहण या कम

भुगतान किया गया है या गलती से धोखे अथवा मिली भगत के कारण से अथवा किसी स्वैच्छिक गलत विवरण या गलत कथन या तथ्यों के छिपाव या इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियमों का उल्लंघन किया गया है, वहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी सुसंगत तिथि से पांच वर्षों के अन्दर नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों न किया जाये, की अपेक्षा कर ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी चंडीगढ़-11 के कार्यालय में अधिनिर्णय से संबंधित फाइलों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि मै. पंजाब ट्रैक्टर लि. (एससीडी), गांव छप्परछेरी, तहसील खरड़, जिला रोपड़ को ₹ 25.40 लाख की शुल्क राशि की मांग करने वाला एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एससीएन की संवीक्षा से पता चला कि इसी विषय पर अप्रैल 2001 से नवम्बर 2001 तक की समयावधि के लिए ₹ 9.10 लाख के शुल्क की मांग करने वाला एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 मार्च 2002 को पहले ही जारी किया गया था। निर्धारिती को उक्त वर्णित अवधि के लिए सही आंकड़ों की आपूर्ति करने को कहा गया तथा निर्धारिती ने संशोधित आंकड़े प्रदान किये (अक्टूबर 2002) जहां मूल्य ₹ 30.22 लाख की बजाय ₹ 1.89 करोड़ था। निर्धारिती ने विभेदक मूल्य पर संशोधित एससीएन जारी करने के लिए अनुरोध भी किया (जनवरी 2003)।

तथापि विभाग समय पर कार्रवाई करने में विफल हुआ और पांच वर्षों के अन्तराल के पश्चात अगस्त 2007 में ₹ 25.40 लाख के शुल्क की मांग करने के लिए एससीएन जारी किया जो उक्त नियम में दिए अनुसार समय सीमा के बाहर था। निर्धारिती ने दिनांक 04 दिसम्बर 2015 को यह कहते हुए उत्तर दिया कि अप्रैल 2001 से नवम्बर 2001 तक की समयावधि के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग करने वाले एससीएन सीमांकन से बाधित हुआ था। मांग को दिनांक 15 फरवरी 2016 को मूल आदेश द्वारा अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि शुल्क की विभेदक राशि की मांग इसकी नियत तिथि से पांच वर्षों की अवधि के बाद जारी की गई थी जिसे मार्च 2002 में पूर्व में जारी एससीएन के शुद्धिपत्र के रूप में नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार विभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब से

कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 25.40 लाख के सरकारी राजस्व की हानि हुई। यदि विभाग ने तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार समय सीमा के अन्दर अन्य एससीएन जारी किया होता तो सरकारी राजकोष की ₹ 25.40 लाख की हानि को रोका जा सकता था।

यह विभागीय अधिकारी की ओर से लापरवाही का मामला है जो दोषी अधिकारी के प्रति कार्रवाई की मांग करता है।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2016) तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) तथा बताया कि ₹ 25.40 लाख के लिए निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। विभागीय अधिकारी की लापरवाही के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि दोषी अधिकारी के प्रति कार्रवाई की जा रही थी। तथापि, यह समझ में नहीं आता कि फिर से एससीएन कैसे जारी किया जा सकता है जबकि मामला अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पहले ही समय बाधित घोषित किया जा चुका था।

नई दिल्ली

दिनांक: 27 नवम्बर 2017

SJ WI 4144
(द्वारका प्रसाद यादव)

प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर-II)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 27 नवम्बर 2017

राजीव महर्षि
(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

